अपील/[illegible] 16/2024

दिनांक	आज्ञा पत्र
11.1.23	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपी[illegible] के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही [illegible] पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 9.3.23 को पेश हों।
9.3.23	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 28.6.23 को पेश हो।
28.6.23	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 10.10.23 को पेश हों।
10/10/23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महो[illegible] [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 12.1.24 को पेश हो।
12/1/24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 26.3.24 को पेश हो।
26.3.24	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ...[illegible]... पर है अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 27.5.24 को पेश हो।
27.5.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. क तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शे से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)